R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

295
फरवरी
2004

बैंकिंग

देशी, सामान्य अनिवासी (एन आर ओ) और अनिवासी (बाह्य) (एन आर ई) खातों पर ब्याज दरें

विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों और विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग ब्याज दर के संबंध में वर्तमान विनियमों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से तथा जमाराशियों के परिचालनगत पक्षों के विनियमन की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने "जमाराशियों पर ब्याज दर तथा तत्संबंधी क्रियाविधि" विषय पर भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एच. एन. सिनोर की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था । कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद हमारे विद्यमान दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :

अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण

बैंक अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण संबंधी सभी पक्षों पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अलबत्ता, उनके बोर्ड ने इस संबंध में एक पारदर्शी नीति बनायी हो जो विवेकाधिकार रहित और भेदभाव रहित होनी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि जमाराशि स्वीकार करते समय ही ग्राहकों को ब्याज दर सहित नवीकरण संबंधी सभी शर्तों की जानकारी दें।

इससे पहले बैंक अतिदेय देशी मीयादी जमाराशियों को अवधिपूर्णता की तारीख को प्रचलित ब्याज दर पर नवीकरण कर सकते थे, बशर्ते जमाराशि की अवधिपूर्णता के 14 दिन के भीतर जमाकर्ता उनसे संपर्क करें। यदि जमाकर्ता जमाराशि की अवधिपूर्णता के 14 दिन के बाद नवीकरण के लिए आवेदन करता है तो ब्याज की दर वह होगी जो जमाराशि के नवीकरण की तारीख को प्रचलित थी। अवधिपूर्णता की तारीख और नवीकरण की तारीख के बीच की अवधि के लिए देय ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए भी बैंक स्वतंत्र थे।

मीयादी जमाराशियों के अग्रिम पर मार्जिन

मीयादी जमाराशियों के अग्रिम पर मार्जिन के संबंध में निर्णय बैंक अपने स्वविवेक पर ले सकते हैं बशर्ते उनके बोर्ड ने इस संबंध में एक पारदर्शी नीति बनायी हो ।

इससे पहले मीयादी जमाराशियों की जमानत पर प्रदान की गयी किसी भी वित्तीय सहायता पर बैंकों को उचित मार्जिन रखना जरूरी होता था। अलबत्ता वे इस प्रकार की मार्जिन प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारित कर सकते थे।

मृत जमाकर्ता के खाते

मृत जमाकर्ता के जमाखाते की अवधिपूर्णता वाली आय पर देय ब्याज के संबंध में निर्णय बैंक अपने स्व-विवेक पर ले सकते हैं, बशर्ते उनके बोर्ड ने इस संबंध में एक पारदर्शी नीति बनायी हो।

मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की गणना के लिए वर्ष

रिज़र्व बैंक को यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ घरेलू मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का परिकलन करते समय तीन माह से कम अवधि में चुकायी जाने वाली जमाराशियों पर अथवा अंतिम तिमाही अपूर्ण रहने पर वास्तविक दिनों के लिए आनुपातिक आधार पर ब्याज अदा किया जाना चाहिए। ऐसे में कुछ बैंक लीप वर्ष में 366 दिन और अन्य वर्षों में 365 दिन वाले वर्षों के आधार पर भुगतान कर रहे हैं। यह सूचित किया जाता है कि हालांकि बैंक इनमें से कोई भी मॉडल अपना सकते हैं परंतु इसके लिए बैंकों को जमाराशि स्वीकार करते समय इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी तथा इस बात की जानकारी शाखा में उचित रूप से प्रदर्शित की जानी होगी ।

संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सी बी एल ओ) में लेनदेन के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर)/ सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) रखना

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आई एल) ने संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सी बी एल ओ) के नाम से एक मुद्रा बाजार लिखत विकसित करके 20 जनवरी 2003 से उसे प्रारंभ किया है। सी बी एल ओ को मुद्रा बाजार लिखत के रूप में विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा से विशेष छूट दी जाये, बशर्ते बैंक ने 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक निधि अनुपात बनाये रखा हो।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने के संबंध में सी बी एल ओ के व्यवहार के बारे में बैंकों द्वारा की गयी पूछताछ के बारे में रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि -

- चूंकि सी सी आई एल एक गैर-बैंकिंग संस्था है, अत: उधारकर्ता बैंक को सी बी एल ओ के अंतर्गत लिये गये उधार को *भारत में अन्यों के प्रति देयता*

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
देशी, सामान्य अनिवासी (एन आर ओ) और अनिवासी (बाह्य) (एन आर ई) खातों पर ब्याज दरें	1
संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सी बी एल ओ) में लेनदेन के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) रखना	1
अनुपयोज्य आस्तियों की समझौता निपटान की समय सीमा बढ़ायी	2
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति	2
पुराने सिक्के चलन से निकालना	2
नोट गिनने वाली मशीनें	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
आवास, उपभोक्ता तथा फुटकर वित्त क्षेत्र में धोखाधड़ियां : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सावधान किया गया	2
शहरी सहकारी बैंक	
पूंजीगत निधियों का अभिकलन	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना एजेंसी करोबार कर सकती हैं	3
विदेशी मुद्रा	
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना	3

के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए और इस राशि पर आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षा का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे सी बी एल ओ के अंतर्गत लिये गये उधार को निवल मांग और सावधि देयता (एन डी टी एल) में शामिल करे।

- बैंकों के लिये यह भी आवश्यक है कि वे सी बी एल ओ के अधीन लिये गये उधार सहित निवल मांग और सावधि देयता पर 25 प्रतिशत का सांविधिक चलनिधि अनुपात भी बनाये रखें।
- बैंक द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए बैंक के सरकारी प्रतिभूति खाते की उन प्रतिभूतियों को हिसाब में लेना चाहिए जिन्हें सी एस जी एल सुविधा के अंतर्गत सी सी आई एल में रखा गया है और ये प्रतिभूतियां किसी भी दिन की समाप्ति पर भार-रहित भी रहनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सी सी आई एल द्वारा उनके पास रखी प्रतिभूतियों/उपयोग की गयी प्रतिभूतियों/भार-रहित प्रतिभूतियों से संबंधित दैनिक विवरणी बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जायेगी।

अनुपयोज्य आस्तियों की समझौता निपटान की समय सीमा बढ़ायी

भारत सरकार के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 10 करोड़ रुपये तक की दीर्घकालिक (क्रॉनिक) अनुपयोज्य आस्तियों के एक समय निपटान के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय सीमा 31 जुलाई 2004 तक बढ़ायी है। इसके परिणामस्वरूप आवेदनपत्रों पर प्रक्रिया करने की अंतिम तारीख भी 31 अक्तूबर 2004 तक बढ़ायी गयी है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति

यह निर्णय लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बहुदेशीय (मल्टीलैटरल) विकास बैंकों - जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात् एशियाई विकास बैंक, आदि, जिन्हें भारत सरकार ने भारत में रुपया बांड जारी करने के लिए विशिष्ट अनुमति दी है, उन्हें सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति दी जाए। इसका भुगतान या तो सामान्य बैंकिंग माध्यमों के ज़रिए आवक प्रेषण द्वारा या रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ खोले गये निधि खाते में रखी गयी निधियों द्वारा किया जाना चाहिए।

यदि बहुदेशीय विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, तो करों के भुगतान के बाद निवल परिपक्वता आय या तो विदेश में प्रेषित की जाए या रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ खोले गये निधि खाते में जमा की जाए।

पुराने सिक्के चलन से निकालना

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्यूप्रो-निकिल एलॉय और एल्युमिनियम से निर्मित एक रुपये की कीमत तक के पुराने सिक्के चलन से निकाल लिये जायें और उन्हें गलाने के लिए मिन्ट को भेज दिया जाये। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सभी शाखाओं को अनुदेश जारी करें और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि उनके सभी मुद्रा तिजोरी और छोटा सिक्का डिपो इस प्रकार के सिक्के मिन्ट को प्रेषित कर रहे हैं।

नोट गिनने वाली मशीनें

समस्त वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपनी शाखाओं में ग्राहकों के लिए पर्याप्त नोट गिनने की मशीनें लगायी गयी हैं।

इससे पहले, नवम्बर 2001 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बिना स्टेपल किये नोट जारी/स्वीकार करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे भुगतान काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में नोटों की संख्या दुतरफा प्रदर्शित करने वाली नोट गिनने की मशीनें लगायें ताकि ग्राहक जारी किये गये नोटों की यथार्थ संख्या देखकर स्वयं की तसल्ली कर सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आवास, उपभोक्ता तथा फुटकर वित्त क्षेत्र में धोखाधड़ियां : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सावधान किया गया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बेईमान उधारकर्ताओं द्वारा जानबूझकर जाली/नकली/चोरी करके लाए गए दस्तावेज प्रस्तुत कर आवास, उपभोक्ता तथा फुटकर वित्त के संविभागों में धोखधड़ियां करने के मामलों के संबंध में प्राप्त होने वाली रिपोर्ट को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसे ऋणों पर प्रक्रिया करते समय यथोचित सावधानी बरतें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐसी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए विद्यमान प्रणालियों तथा नियंत्रणों की समीक्षा करें एवं उनमें पायी गयी खामियां दूर करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि इन क्षेत्रों में ऋण देनेवाली शाखाओं में क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस बारे में पायी जाने वाली अनियमितताओं तथा इसके कारण होने वाली हानि के बारे में निदेशक बोर्ड को आवधिक आधार पर अवगत कराते रहें।

रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ियों के आधार पर यह पाया गया कि इस संबंध में अपनायी गयी अत्यधिक सामान्य कार्यप्रणाली यह थी कि बैंकों को जमानत के रूप में संपत्तियों से संबंधित जाली/नकली दस्तावेज प्रस्तुत करके ऋण सुविधाएं ली गयी थी। ध्यान में आयी अन्य प्रकार की कार्यप्रणालियां निम्नानुसार हैं:

- एक ही संपत्ति के नकली स्वत्व विलेख प्रतिभूति के रूप में विभिन्न बैंकों को प्रस्तुत किए गए।
- जो संपत्तियां बैंकों के पास बंधक रखी गई थी वे अस्तित्व में ही नहीं थीं।
- व्यक्तियों के पूर्ववृत्त/ब्यौरे सत्यापित किए बिना ही ऋण मंजूर किये गये। परिणामस्वरुप बाद में यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति विद्यमान ही नहीं थे।
- ऋण लेने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज जैसे कि स्वत्व विलेख, आयकर विवरणियां, वेतन प्रमाणपत्र आदि जाली/नकली पाये गये।
- जिन सनदी लेखाकारों द्वारा दस्तावेज जारी/सत्यापित किए गए वे स्वयं ही मौजूद नहीं थे।

लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास

लघु उद्योगों/अत्यंत लघु इकाइयों और छोटे पैमाने की सेवा और कारोबार (उद्योग से संबद्ध) उद्योग; विशेषत: नये उद्यमियों को अपनी परियोजनाओं के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति और/या अन्य व्यक्ति की गारंटी के बिना वित्त अर्जित करने में जो समस्याएं आती हैं, उन्हें हटाने के लिए लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी निधि न्यास गठित किया है। यह ऋण गारंटी निधि न्यास अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं - जिनमें वाणिज्य बैंक, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और उत्तर पूर्व विकास वित्तीय निगम का समावेश होता है, को उनके द्वारा लघु उद्योग/अत्यंत लघु उद्योग/ छोटे पैमाने की सेवा और कारोबार उद्योग को दिये जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी देता है।

इस ऋण गारंटी योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सदस्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा लघु उद्योग इकाइयों और छोटे पैमाने पर सेवा और कारोबार उद्योगों को दिये जाने वाले 25 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋणों के लिए लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास गारंटी देता है।
- नयी या मौजूदा लघु उद्योग इकाइयाँ और छोटे पैमाने पर सेवा और कारोबार उद्योग, सदस्य उधारदात्री संस्थाओं से अर्जित प्रति उधारकर्ता 25 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओं (मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी) को सम्मिलित करने के लिए पात्र हैं।
- सदस्य उधारदात्री संस्थाएं उनके द्वारा पात्र लघु उद्योग इकाइयों/छोटे पैमाने पर सेवा और कारोबार उद्योगों को, उनकी संभाव्य परियोजनाओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति और/या अन्य व्यक्ति की गारंटी के बिना उनके द्वारा मंजूर किये गये 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी सुविधा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

सदस्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों के लिए गारंटी निधि न्यास को पात्र ऋण सुविधाओं को गारंटी कवर देने के लिए देय शुल्क निम्नानुसार है:

- सदस्य उधारदात्री संस्था द्वारा उधारकर्ता के लिए मंजूर ऋण सुविधा की राशि पर निर्धारित दर (इस समय 2.5 प्रतिशत) से देय एक समय गारंटी शुल्क
- हर वर्ष 31 मार्च तक उधारकर्ता के खाते में बकाया ऋण की राशि पर निर्धारित दर (इस समय 1 प्रतिशत प्रति वर्ष) से वार्षिक सेवा शुल्क

सदस्य उधारदात्री संस्थाओं की सूची लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की वेबसाइट www.cgtsi.org in पर या www.creditguarantee.org.in पर उपलब्ध है।

- धोखाधड़ियों के कई मामलों में बिल्डरों/डेवलपरों ने नकली व्यक्तियों के नाम से जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर आवास ऋण प्राप्त किए तथा इस प्रकार आवास ऋण की राशि हथिया कर उन्होंने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की।
- कुछ मामलों में बिल्डरों/डेवलपरों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके जाली/नकली/हेराफेरी किए हुए वेतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके बैंकों से आवास ऋण लेने के प्रबंध किये। बाद में ऐसे ऋणों का दुरूपयोग किया गया।
- जाली/नकली इनवाइस/कोटेशन प्रस्तुत करके वाहन/उपभोक्ता ऋण प्राप्त किये गये तथा प्रतिभूति पर कोई भी प्रभार निर्मित किए बिना उनका दुरूपयोग किया गया।

शहरी सहकारी बैंक

पूंजीगत निधियों का अभिकलन

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को स्पष्ट किया है कि किसी भी निधि को पूंजी निधि में शामिल करने के लिए निधि/रिज़र्व को निम्नलिखित दो मानदंडों को पूरा करना होगा।

(i) रिज़र्व/ निधि लाभ के विनियोग के रूप में निर्मित किये जाने चाहिए और

(ii) वह निर्बंध आरक्षित निधि हो अर्थात निर्दिष्ट निधि न हो ।

उदाहरणार्थ, यदि आकस्मिक निधि, लाभ के विनियोग से निर्मित की गई हो और उद्दिष्ट/निर्दिष्ट निधि न हो तो वह पूंजी निधि में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगी। तथापि, यदि वह लाभ के विनियोग से निर्मित नहीं की गई हो, बल्कि लाभ को प्रभारित कर निर्मित की गई हो तो वह निधि वास्तव में प्रावधान मानी जाएगी और इसलिए वह भारांकित जोखिम आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन स्तर II की पूंजी के रूप में ही शामिल किए जाने की पात्र होगी, बशर्ते उसे ज्ञात संभावित हानियों अथवा किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक कमी के लिए प्रावधान के रूप में न रखा गया हो ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शताब्दी महोत्सव निधि, लाभांश समकारी निधि और सदस्य उत्थान निधि आदि जैसी निधियों को पूंजीगत निधि में शामिल न किया जाए क्यों कि वे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट होती हैं ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना एजेंसी करोबार कर सकती हैं

रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना, शुल्क के आधार पर तथा किसी जोखिम की भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार कर सकती हैं। अलबत्ता यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बीमा कंपनियों के साथ *संयुक्त कंपनी निकाय एजेंट* के रूप में कार्य करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए और उन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों का पालन करना होगा।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, उनके द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के संबंध में अपने ग्राहकों को किसी बीमा कंपनी विशेष के ही पास जाने पर जोर देने की प्रतिबंधकारी परंपरा नहीं अपनानी चाहिए। ग्राहकों को अपनी पसंद का विकल्प चुनने की अनुमति मिलनी चाहिए।

(iii) किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक द्वारा बीमा उत्पादों का उपयोग करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा वितरित की गई सभी प्रचार सामग्री में इस बात का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और बीमा उत्पादों के उपयोग के बीच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कोई 'संबंध' नहीं होना चाहिए।

(iv) बीमा-धारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम के बिना सीधे बीमा कंपनी को किया जाना चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम निहित हों तो वे जोखिम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार में अंतरित नहीं होने चाहिए।

जोखिम की भागीदारी के आधार पर ईक्विटी अंशदान के साथ संयुक्त बीमा उद्यम स्थापित करने या बीमा कंपनियों में निवेश करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना जारी रखें।

जून 2000 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से बीमा कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी थी।

विदेशी मुद्रा

निवासी व्यक्तियों के लिए प्रेषण योजना उदारीकृत

निवासियों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सुविधाओं को और अधिक सरल और उदारीकृत बनाने के अगले चरण के रूप में निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्ति प्रति कैलेंडर वर्ष किसी भी प्रयोजन के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर स्वतंत्रतापूर्वक प्रेषित कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित योजना बनाई गई है :

पात्रता

सभी निवासी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत सुविधा लेने के पात्र हैं। यह सुविधा कंपनियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों, न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

प्रयोजन

यह सुविधा कैलेंडर वर्ष के दौरान चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेन अथवा दोनों के मिश्रण कार्यों के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर तक के प्रेषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

इस सुविधा के अंतर्गत, निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भारत से बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति अभिगृहीत और धारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषण भेजने के लिए भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकेगा, अनुरक्षित कर सकेगा और धारित कर सकेगा। विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रेषणों से संबंधित सभी किस्म के लेनदेन को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत यह सुविधा निजी यात्रा, कारोबार यात्रा, उपहार प्रेषण, दान, अध्ययन, चिकित्सीय इलाज, आदि के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अलावा है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए प्रेषण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी :

(i) विशेष रूप से निषिद्ध किसी भी प्रयोजन (पृष्ठ 4 का बॉक्स देखें) के लिए प्रेषण अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमावली 2000 (नीचे का बॉक्स देखें) के अंतर्गत प्रतिबंधित कोई भी मद।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत विशेष रूप से प्रतिबंधित प्रेषण

- लॉटरी जीतने पर उस राशि से प्रेषण
- रेसिंग/घुड़दौड आदि या अन्य कोई शौक की आय से प्रेषण
- लॉटरी टिकटों, निषिद्ध/अश्लील पत्रिकाओं की खरीद, फुटबॉल पुल्स, घुड़दौड का जुआ आदि के लिए प्रेषण
- भारतीय कंपनियों के विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किये गये निर्यातों पर कमीशन का भुगतान
- किसी भी कंपनी द्वारा किया गया लाभांश का प्रेषण, जिसके लिए लाभांश की बाकी निकालना लागू होता है
- रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंतर्गत निर्यातों के कमीशन पर भुगतान
- टेलीफोन की कॉल बैक सेवाओं से संबंधित भुगतान
- अनिवासी विशेष रुपया (खाता) योजना में रखे गये निधियों पर ब्याज आय का प्रेषण

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-505/MBI-2003-05
28 फरवरी तथा 1 मार्च 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

(ii) भूटान, नेपाल, मॉरिशियस अथवा पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया प्रेषण।

(iii) वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) द्वारा "गैर सहकारी देश और क्षेत्र" अभिनिर्धारित देश जैसे कूक द्वीप, इजिप्त, गुवातेमाला, इंडोनेशिया, म्यानमार, नौरु, नैजेरिया, फिलिप्पाइन्स और युक्रेन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया प्रेषण।

(iv) आतंकवादी गतिविधियों के लिए विशिष्ट रूप से जोखिम उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों और सत्ताओं को, जैसा कि अलग से रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूचित, को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया प्रेषण।

प्रेषण प्रक्रिया

प्रेषक के लिए -

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को नामित करना होगा जिसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत सभी प्रेषण किए जाएंगे।

प्रेषण भेजने का इच्छुक निवासी व्यक्ति आवेदन पत्र व घोषणा पत्र के प्रारूप में, प्रेषण के प्रयोजन के संबंध में और यह घोषणा कि निधि प्रेषक की ही है और इनका उपयोग ऊपर वर्णित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

प्राधिकृत व्यापारियों के लिए -

निवासी व्यक्तियों को सुविधा की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन खातों के संबंध में *नो युअर कस्टमर* दिशानिदेशों का कार्यान्वयन किया गया है। इस सुविधा की अनुमति देने से पहले वे मनी लॉण्डरिंग प्रतिरोधी नियमों का अनुपालन करेंगे।

आवेदक प्रेषण भेजने से पहले कम से कम एक साल तक बैंक खाता अनुरक्षित करेंगे। यदि प्रेषण करने का इच्छुक आवेदक बैंक का नया ग्राहक है तो प्राधिकृत व्यापारी खाता खोलने, परिचालन और उनके अनुरक्षण के बारे में अपेक्षित सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत व्यापारी आवेदक से पिछले वर्ष का बैंक विवरण प्राप्त करें ताकि वे निधियों के स्रोत के बारे में अपने आप को संतुष्ट कर सकें। यदि इस प्रकार का बैंक विवरण उपलब्ध न हो तो अंतिम आयकर निर्धारण आदेश अथवा उसके लिए दाखिल विवरणी की प्रतिलिपि प्राप्त की जाए।

प्राधिकृत व्यापारी सुनिश्चित करें कि प्रेषण करने के इच्छुक व्यक्ति से संबंधित निधि आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक द्वारा अथवा उसके खाते में नामे द्वारा अथवा मांग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश द्वारा प्राप्त किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी प्रमाणित करें कि प्रेषण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपात्र सत्ता द्वारा / या को नहीं किया जा रहा है और यह कि इसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार किया गया है।

लेनदेन की सूचना देना (रिपोर्टिंग)

इस योजना के अंतर्गत किए गए प्रेषणों की सूचना सामान्य तरीके से आर-विवरणी में दी जाए। प्राधिकृत व्यापारी 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के प्रेषणों के संबंध में डमी फार्म ए2 में अभिलेख तैयार करें और रखें। प्राधिकृत व्यापारी तिमाही आधार पर आवेदकों की संख्या और उनके द्वारा भेजी गई कुल राशि की जानकारी मुख्य महाप्रबंधक, बाह्य भुगतान प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को भेजने की व्यवस्था करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत विशेष रूप से प्रतिबंधित प्रेषण -

प्रेषण का प्रयोजन	मंत्रालय/भारत सरकार का विभाग जिसका अनुमोदन आवश्यक है
• सांस्कृतिक दौरे	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय)
• राज्य सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोलियां लगाने (10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक), विदेशी निवेश और पर्यटन के प्रवर्धन को छोड़कर विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के प्रयोजन से	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किराये पर लिये गये पोत के मालभाड़े का प्रेषण	सतह परिवहन मंत्रालय (चार्टरिंग विंग)
• सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लागतें, बीमा और भाड़ा आधार पर (अर्थात् जहाज पर्यंत नि:शुल्क और जहाज तक नि:शुल्क को छोड़कर) आयात का भुगतान	सतह परिवहन मंत्रालय (चार्टरिंग विंग)
• मल्टी मॉडल परिवहन परिचालक जो विदेश में अपने एजेन्टों को प्रेषण करते हैं	नौवहन के महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाणपत्र
• नौवहन के महानिदेशक द्वारा निर्धारित दर से अतिरिक्त कंटेनर रखने के प्रभारों का प्रेषण	सतह परिवहन मंत्रालय (नौवहन के महानिदेशक)
• तकनीकी सहयोग करारों के अंतर्गत प्रेषण जहाँ रायल्टी का भुगतान स्थानीय बिक्रियों पर 5 प्रतिशत से अधिक तथा निर्यातों पर 8 प्रतिशत से अधिक और एक-मुश्त भुगतान पर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय
• पुरस्कार की राशि/खेलकूद की गतिविधि की प्रायोजकता, जो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के स्पोर्टस् निकाय को छोड़कर अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है तथा यदि उसमें सम्मिलित राशि 100,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेलकूद विभाग)
• विदेश स्थित कंपनी से स्वास्थ्य के लिए बीमा लेने के लिए भुगतान	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)
• पी एंड आइ क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित। **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**